



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-01032024-252526
CG-JK-E-01032024-252526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

No. 125]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 12 फरवरी, 2024

क्रमांक जेईआरसी-जेकेएल/रेग/2024/05—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 (1) (ड) के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एतद द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन के विकास और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन की सीमा:

- इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (नवीकरणीय खरीद दायित्व और इसका अनुपालन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- ये विनियम पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर लागू होंगे।

1.4. ये विनियम सभी वितरण लाइसेंसधारियों, 1 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों का उपयोग करने वाले कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से 1 मेगावाट से अधिक की अनुबंधित मांग वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू होंगे।

2. परिभाषा:

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), जिसमें संशोधन भी शामिल है;
- (ख) "आपूर्ति का क्षेत्र" का अर्थ उन क्षेत्रों से है जिनके भीतर वितरण लाइसेंसधारी/मानित लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत हैं;
- (ग) "कैप्टिव उपयोगकर्ता" का वही अर्थ होगा जो विद्युत नियम 2005 के नियम 3(2) और उसके बाद के संशोधन में परिभाषित है;
- (घ) "केंद्रीय एजेंसी" का अर्थ वह एजेंसी है, जिसे केंद्रीय आयोग समय-समय पर चयनित कर सकता है;
- (ङ) "केंद्रीय आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है;
- (च) "प्रमाणपत्र" का अर्थ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के नियम और शर्तों) विनियम, 2022 या इसके बाद के संशोधन में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी किया गया नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र है।
- (छ) "आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है।
- (ज) "वितरित नवीकरणीय ऊर्जा" का अर्थ है केंद्रीकृत उत्पादन बिजली संयंत्रों के बजाय उपयोग के बिंदु के निकट ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली, जिसका आकार 10 मेगावाट से कम है और इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी कॉन्फिगरेशन (नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, मीटर इंस्टॉलेशन के पीछे और कोई अन्य कॉन्फिगरेशन) के तहत सौर स्थापनाएं शामिल होंगी।
- (झ) "योग्य इकाई" का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वितरण लाइसेंसधारी/मानित लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और खुली पहुंच वाले उपभोक्ता, जो इन विनियमों के तहत नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं।
- (ञ) "फ्लोर प्राइस और फ्लोरबियरेंस प्राइस" का अर्थ है, समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए नियम और शर्तों) विनियम, 2022 के अनुसार केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित क्रमशः न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य, जिसके अंतर्गत केवल प्रमाणपत्रों का वितरण विद्युत विनियम में किया जा सकता है।
- (ट) "हरित ऊर्जा" का अर्थ है, हाइड्रो और भंडारण (यदि भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है) या किसी अन्य तकनीक सहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है और इसमें कोई भी तंत्र शामिल होगा जो हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन सहित जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करता है।
- (ठ) "एचपीओ" का अर्थ जल विद्युत दायित्व है।
- (ड) "हाइड्रो एनर्जी सर्टिफिकेट" का अर्थ है एचपीओ के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सीईआरसी द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रमाणपत्र।
- (ढ) "अंतर्संयोजन सुविधाएं" का अर्थ उन सभी सुविधाओं से है, जिनमें बिना किसी सीमा के, स्विचिंग उपकरण, नियंत्रण, सुरक्षा और मीटरिंग डिवाइस आदि शामिल होंगे। प्रोजेक्ट लाइन के लिए इनकमिंग वे के लिए, प्रोजेक्ट से विद्युत उत्पादन की निकासी को सक्षम करने के लिए उत्पादक की लागत पर अंतर्संयोजन बिंदु पर लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित और रखरखाव किया जाना है।

- (ण) "अंतर्संयोजन बिंदु" का अर्थ भौतिक स्पर्श बिंदु है जहां प्रोजेक्ट लाइन और अंतर्संयोजन सुविधाओं का हिस्सा बनने वाले संबद्ध उपकरण लाइसेंसधारी की बिजली प्रणाली से जुड़े होते हैं।
- (त) "लाइसेंसी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे लाइसेंस दिया गया है या विद्युत अधिनियम की धारा 14 के तहत लाइसेंसधारी माना जाता है।
- (थ) "एमएनआरई" का अर्थ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार है।
- (द) "बाध्य इकाई" का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वितरण लाइसेंसधारी, एक कैप्टिव पावर प्लांट का मालिक और एक खुली पहुंच वाला उपभोक्ता, जो विनियमन 3 में उल्लिखित इन नियमों के तहत नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए अनिवार्य है।
- (ध) "ओपन एक्सेस उपभोक्ता" का अर्थ है एक उपभोक्ता जिसे आयोग द्वारा अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, जिसने ओपन एक्सेस का लाभ उठाया है या लेने का इरादा रखता है।
- (न) "तरजीही टैरिफ" का अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन से ऊर्जा की बिक्री के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ।
- (न) "प्रोज्यूर" का अर्थ एक उपभोक्ता है जो ग्रिड से बिजली का उपभोग करता है और आपूर्ति के समान बिंदु का उपयोग करके वितरण लाइसेंसधारी के लिए ग्रिड में बिजली प्रवाहित कर सकता है;
- (प) "नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व" का अर्थ अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के तहत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली खरीदने के लिए बाध्य इकाई के लिए इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट अनिवार्य मात्रा है।
- (फ) "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" का अर्थ है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित बिजली उत्पादन स्रोत और इसमें समूहीकृत बिजली खरीद (समूहीकृत बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा सामग्री की सीमा तक), सह-उत्पादन-आधारित बिजली संयंत्रों से उत्पन्न बिजली शामिल है जिसमें उपयोग किया जाने वाला ईंधन गैर-जीवाश्म ईंधन है जिसे एमएनआरई द्वारा नवीकरणीय स्रोतों के रूप में मान्यता प्राप्त है और राज्य मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- (ब) "नोडल एजेंसी" का अर्थ है वह एजेंसी जिसे आयोग द्वारा मान्यता के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करने और केंद्रीय एजेंसी के साथ पंजीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सिफारिश करने और आयोग द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नामित किया जा सकता है।
- (भ) "वर्ष" का अर्थ वित्तीय वर्ष है।

3. बाध्य संस्थाएँ:

- 3.1. विनियम 5 में निर्दिष्ट प्रतिशत सभी वितरण लाइसेंसधारियों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा अन्य का उपयोग करने वाली 1 मेगावाट परियोजना क्षमता से अधिक के कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से 1 मेगावाट से अधिक की अनुबंधित मांग वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा।
- 3.2. कोई भी व्यक्ति जिसके पास 1 मेगावाट और उससे अधिक की स्थापित क्षमता वाला पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर आधारित ग्रिड-कनेक्टेड कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट है, या ऐसी अन्य क्षमता जो समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है, और अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऐसे संयंत्र से उत्पन्न बिजली का उपभोग करता है, ऐसे जीवाश्म ईंधन-आधारित कैप्टिव स्रोत के माध्यम से पूरी की गई खपत के प्रतिशत की सीमा तक आरपीओ के अधीन होगा।
- 3.3. कोई भी व्यक्ति जिसकी अनुबंध मांग 1 मेगावाट से कम नहीं है और जो ओपन एक्सेस के माध्यम से पारंपरिक जीवाश्म ईंधन-आधारित उत्पादन से प्राप्त बिजली का उपभोग करता है, वह ऐसे जीवाश्म ईंधन-आधारित ओपन एक्सेस स्रोत के माध्यम से पूरी की गई खपत के प्रतिशत की सीमा तक आरपीओ के अधीन होगा।

बशर्ते कि आयोग, आदेश द्वारा, समय-समय पर उपरोक्त खंड (3.1) और (3.2) में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षमता को संशोधित/पुनरीक्षित कर सकता है।

बशर्ते कि उपरोक्त खंड (3.1) के तहत शर्त स्टैंड-बाय (या आपातकालीन बैक-अप) कैप्टिव उत्पादन सुविधाओं के मामले में लागू नहीं होगी।

3.4. जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख यानी जेपीडीसीएल, केपीडीसीएल और एलपीडीडी में वितरण उपयोगिताओं के लिए बिजली खरीदने और खरीदने की प्रक्रिया की देखभाल करने का अधिकार है। इसे ध्यान में रखते हुए, जब तक डिस्कॉम के लिए उत्पादकों के साथ किए गए बिजली खरीद समझौते जेकेपीसीएल में निहित नहीं हो जाते, तब तक जेकेपीसीएल को इन विनियमों के तहत एक बाध्य इकाई माना जाएगा और इसलिए जेकेपीसीएल को आरपीओ की पूर्ति के लिए डिस्कॉम से संबंधित सभी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

3.5. इन विनियमों के तहत प्रोज्यूर को बाध्य इकाई नहीं होना चाहिए।

4. परिचालन अवधि:

4.1. इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट आरपीओ ढांचे की परिचालन अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होगी और 31 मार्च 2030 तक (यानी वित्त वर्ष 2029-30 तक) वैध रहेगी।

5. नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) की मात्रा:

5.1 प्रत्येक बाध्य इकाई नवीकरणीय खरीद दायित्व के तहत अपनी कुल बिजली खपत के एक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदेगी।

5.2 तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए आरपीओ लक्ष्य पूर्ववर्ती जेकेएसईआरसी द्वारा अपने विभिन्न आदेशों में तय किए गए थे, जिसमें जम्मू-कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010 (निरस्त) के तहत द्वितीय नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अक्टूबर 2016 का आदेश भी शामिल था। परिभाषित न्यूनतम प्रतिशत नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं।

तालिका 1: वित्त वर्ष 2010-11 से 2020-21 के लिए आरपीओ लक्ष्य

वित्तीय वर्ष	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद की न्यूनतम मात्रा (% में) (किलोवाट में)		
	कुल	सौर	गैर सौर
2010-11	1.00%	0.02%	0.98%
2011-12	3.00%	0.10%	2.90%
2012-13	5.00%	0.25%	4.75%
2013-14	5.00%	0.25%	4.75%
2014-15	6.00%	0.75%	5.25%
2015-16	7.50%	1.50%	6.00%
2016-17	7.50%	1.00%	6.50%
2017-18	8.50%	1.25%	7.25%
2018-19	9.50%	1.50%	8.00%
2019-20	10.50%	1.75%	8.75%
2020-21	11.50%	2.00%	9.50%

5.3 संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसका अनुपालन और आरईसी ढांचा कार्यान्वयन) विनियम, 2022 के तहत आयोग द्वारा आरपीओ लक्ष्य तय किए गए थे।

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए परिभाषित न्यूनतम प्रतिशत नीचे तालिका 2 में दिए गए हैं।

तालिका 2: वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए आरपीओ लक्ष्य

वित्तीय वर्ष	सौर आरपीओ	गैर-सौर आरपीओ			कुल आरपीओ
		एचपीओ	अन्य गैर- सौर आरपीओ	कुल गैर- सौर आरपीओ	
2021-22	10.50%	0.18%	10.50%	10.68%	21.18%

2022-23	10.50%	0.35%	10.50%	10.68%	21.18%
2023-24	10.50%	0.66%	10.50%	10.68%	21.18%

5.4 अब से, प्रत्येक बाध्य इकाई एक वर्ष के दौरान एक बाध्य इकाई के रूप में अपनी कुल खपत के एक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली (किलोवाट में) खरीदेगी, जैसा कि नीचे तालिका 3 में दिखाया गया है।

तालिका 3: वित्त वर्ष 2024-25 से 2029-30 के लिए आरपीओ लक्ष्य

वित्तीय वर्ष	पवन आरपीओ	जल विद्युत दायित्व (एचपीओ)	वितरित नवीकरणीय ऊर्जा	अन्य आरपीओ	कुल आरपीओ
2024-25	0.67%	0.38%	0.75%	28.10%	29.91%
2025-26	1.45%	1.22%	1.05%	29.29%	33.01%
2026-27	1.97%	1.34%	1.35%	31.29%	35.95%
2027-28	2.45%	1.42%	1.65%	33.29%	38.81%
2028-29	2.95%	1.42%	1.95%	35.05%	41.36%
2029-30	3.48%	1.33%	2.25%	36.27%	43.33%

5.5 दायित्व एक बाध्य इकाई द्वारा बिजली की कुल खपत पर होगा।

- (क) पवन आरपीओ की पूर्ति केवल 31 मार्च 2024 के बाद शुरू की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी;
- (ख) एचपीओ घटक की पूर्ति केवल 31 मार्च 2024 के बाद शुरू की गई जलविद्युत परियोजनाओं [पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) और लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) सहित] से उत्पादित ऊर्जा से की जाएगी; बशर्ते कि एचपीओ घटक को 31 मार्च, 2024 के बाद शुरू की गई जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य/डिस्कॉम को प्रदान की जा रही मुफ्त बिजली से भी पूरा किया जा सकता है; बशर्ते कि एचपीओ घटक को मामले-दर-मामले के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित भारत के बाहर स्थित जलविद्युत परियोजनाओं से भी पूरा किया जा सकता है।
- (ग) वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक को केवल 10 मेगावाट से कम आकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न ऊर्जा से पूरा किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी कॉन्फिगरेशन (नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, मीटर इंस्टॉलेशन के पीछे और कोई अन्य कॉन्फिगरेशन) के तहत सौर स्थापनाएं शामिल होंगी;
- बशर्ते कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के अनुपालन पर आमतौर पर ऊर्जा (किलोवाट घंटा इकाइयों) के संदर्भ में विचार किया जाएगा;
- बशर्ते कि यदि चयनित उपभोक्ता वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के खिलाफ उत्पादन डेटा प्रदान करने में असमर्थ है, रिपोर्ट की गई क्षमता को ऊर्जा के संदर्भ में 3.5 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति दिन (किलोवाट घंटा/किलोवाट दिन) के गुणक द्वारा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जाएगा।
- (घ) अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक को (क), (ख), (ग) में निर्दिष्ट के अलावा किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा बिजली परियोजना से उत्पादित ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है और इसमें 1 अप्रैल 2024 से पहले चालू की गई सभी डब्ल्यूपीपी और मुफ्त बिजली सहित हाइड्रो पावर परियोजनाओं [पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) और लघु हाइड्रो परियोजनाओं (एसएचपी) सहित] से ऊर्जा शामिल होगी।
- (ङ) 31 मार्च 2024 से पहले चालू किए गए एचपीपी से मुफ्त बिजली सहित सभी जल विद्युत परियोजनाओं (एचपीपी) से ऊर्जा को 'अन्य आरपीओ' की श्रेणी के तहत माना जाएगा।

5.6 किसी विशेष वर्ष में निर्धारित पवन नवीकरणीय ऊर्जा खपत की उपलब्धि में किसी भी कमी को पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है जो उस वर्ष के लिए उस ऊर्जा घटक से अधिक है या इसके विपरीत है।

5.7 उस वर्ष पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अंतर्गत अतिरिक्त ऊर्जा खपत के संतुलन को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटकों का एक हिस्सा माना जा सकता है।

- 5.8 किसी विशेष वर्ष में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटकों के तहत किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा खपत का उपयोग निर्धारित पवन नवीकरणीय ऊर्जा या हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा खपत की उपलब्धि में कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
- 5.9 ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता या कैप्टिव पावर प्लांट वाले उपभोक्ता गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत के बावजूद निर्दिष्ट कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुसार अपने दायित्व को पूरा करेंगे।
- 5.10 निर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा खपत लक्ष्यों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार सीधे या प्रमाणपत्र के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
- 5.11 निर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा खपत लक्ष्यों में किसी भी कमी को गैर-अनुपालन माना जाएगा और इन विनियमों के खंड 10 के अनुसार आयोग द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- 5.12 समूहीकृत बिजली के माध्यम से खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा समूहीकृत बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा सामग्री की सीमा तक नवीकरणीय खरीद दायित्व अनुपालन के लिए अर्हता प्राप्त करेगी।
- 5.13 वितरण लाइसेंसधारी संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इसके संबंधित मामले) विनियम, 2023 के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार जैसा कि ऊपर खंड 5.5 (ग) में दिया गया है आरपीओ अनुपालन को पूरा करने के लिए सकल मीटरिंग, नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत ऐसे लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं से उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पात्र होगा।
- 5.14 वितरण लाइसेंसधारी को आरपीओ दायित्व के बावजूद राज्य में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न 100% बिजली अनिवार्य रूप से खरीदनी होगी।
- 5.15 आयोग आगामी वर्षों में मौजूदा स्थिति के आधार पर उपरोक्त विनियमों में निर्दिष्ट अनुपालन के न्यूनतम प्रतिशत की समीक्षा कर सकता है।
- 5.16 वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व होगा। कोई भी बाध्य इकाई निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से अपने दायित्व को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, खरीद और उपभोग करने का विकल्प चुन सकती है –
- (क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्वयं का उत्पादन: - अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाध्य संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई क्षमता सीमा नहीं होगी और ऐसे संयंत्र भारत में किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं और बिजली ओपन एक्सेस का उपयोग करके प्रसारित की जाएगी:
- बशर्ते कि उत्पादन संयंत्र इकाई द्वारा स्वयं या किसी डेवलपर द्वारा स्थापित किया जा सकता है जिसके साथ इकाई बिजली खरीद समझौता करती है।
- (ख) किसी भी डेवलपर से सीधे या ट्रेडिंग लाइसेंसधारी या बिजली बाजारों के माध्यम से ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करके।
- स्पष्टीकरण:**
- 1) डेवलपर का अर्थ वह उत्पादन कंपनी है जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है।
 - 2) ट्रेडिंग लाइसेंसधारी का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे बिजली की पुनर्विक्रय हेतु खरीद के लिए उचित आयोग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है।
- (ग) वितरण लाइसेंसधारी से मांग द्वारा –
- क) कोई भी इकाई खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक या इसकी संपूर्ण खपत तक हरित ऊर्जा खरीदने का चुनाव कर सकती है और वे इसके लिए अपने वितरण लाइसेंसधारी के पास एक मांग रख सकते हैं, जो इतनी मात्रा में हरित ऊर्जा खरीदेगा और इसकी आपूर्ति करेगा और उपभोक्ता को पवन, पनबिजली और उपभोक्ता को पवन, जल विद्युत और अन्य स्रोतों के लिए अलग-अलग मांग करने की छूट होगी।
 - ख) उपभोक्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी बाध्यता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकता है और कार्यान्वयन में आसानी के लिए, यह 25% और 100% तक के चरणों में जा सकता है।
 - ग) वितरण लाइसेंसधारी से हरित ऊर्जा की कोई भी मांग न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

घ) हरित ऊर्जा की मात्रा कम से कम एक वर्ष के लिए पूर्व-निर्दिष्ट होगी।

ड) वितरण लाइसेंसधारी से या वितरण लाइसेंसधारी के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बाध्य इकाई के नवीकरणीय खरीद दायित्व से अधिक खरीदी गई हरित ऊर्जा को वितरण लाइसेंसधारी के नवीकरणीय खरीद दायित्व अनुपालन में गिना जाएगा।

च) वितरण लाइसेंसधारी स्तर पर आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा का लेखा-जोखा मासिक आधार पर होगा।

(घ) कैप्टिव बिजली संयंत्रों से हरित ऊर्जा का उपभोग करके।

(ड) हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया की खरीद; - बाध्य इकाई हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया खरीदकर भी अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा कर सकती है और ऐसे हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्रोतों या उसके गुणकों से एक मेगावाट बिजली से उत्पादित हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के समतुल्य पर विचार करके की जाएगी और इस संबंध में मानदंड सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

(च) कोई अन्य स्रोत, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(छ) लागू विनियमों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदकर।

5.17 जैसा भी मामला हो, आयोग जेकेपीसीएल/डिस्कॉम द्वारा दायर याचिका के अनुसार यथा-दर-मामला आधार पर आरपीओ की पूर्ति के लिए दीर्घकालिक पीपीए को मंजूरी देगा। पीपीए की मंजूरी संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (लोड पूर्वानुमान, संसाधन योजना और बिजली खरीद प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2023 के तहत दिए गए प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होगी।

6. केंद्रीय आयोग के विनियमों के तहत प्रमाण पत्र:

6.1 इन विनियमों में निहित नियमों और शर्तों के अधीन, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के तहत जारी प्रमाण पत्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदने के लिए बाध्य संस्थाओं के लिए इन विनियमों में निर्धारित अनिवार्य दायित्वों के निर्वहन के लिए वैध साधन होंगे।

6.2 आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अधीन, बाध्य इकाई इन विनियमों के तहत नवीकरणीय खरीद दायित्व की पूर्ति के लिए प्रमाणपत्रों की खरीद के संबंध में केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुरूप कार्य करेगी।

6.3 उपरोक्त उप-खंड (6.1) के अनुसार बाध्य संस्थाओं द्वारा पावर एक्सचेंज से खरीदे गए प्रमाणपत्र केंद्रीय आयोग/केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार बाध्य संस्थाओं द्वारा उपयुक्त एजेंसी को जमा किए जाएंगे।

6.4 ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीओएसओसीओ) आरपीओ के अनुपालन से संबंधित डेटा बनाए रखेगा।

7. नोडल एजेंसी:

7.1 आयोग मान्यता के लिए एक एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित करेगा और पंजीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सिफारिश करेगा और इन विनियमों के तहत कार्य करेगा।

7.2 नोडल एजेंसी आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2022 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं/नियमों के अनुसार कार्य करेगी।

7.3 राज्य एजेंसी वित्तीय वर्ष की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के पूरा होने के बाद आगामी महीने के 15 वें दिन के भीतर इन विनियमों के अनुबंध-1 के रूप में संलग्न प्रारूप में आयोग को बाध्य संस्थाओं द्वारा आरपीओ के अनुपालन के संबंध में त्रैमासिक स्थिति प्रस्तुत करेगी और नवीकरणीय खरीद दायित्व के अनुपालन के लिए यदि आवश्यक हो तो आयोग को उचित कार्रवाई का सुझाव दे सकता है।

बशर्ते कि राज्य एजेंसी जेकेपीसीएल के आरपीओ अनुपालन का डेटा प्रस्तुत करेगी जो डिस्कॉम की ओर से ऊर्जा खरीदती है।

- 7.4 आयोग समय-समय पर इन विनियमों के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नोडल एजेंसी को देय पारिश्रमिक और शुल्क तय कर सकता है, जिसे मान्यता प्राप्त संस्थाओं और बाध्य संस्थाओं से वसूल किया जाएगा।
- 7.5 यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि राज्य एजेंसी अपने कार्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, और लिखित रूप में कारण दर्ज करके, किसी अन्य एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
- 8. वितरण लाइसेंसधारी:**
- 8.1 जेकेपीसीएल के साथ समन्वय में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के वितरण लाइसेंसधारियों को पर्याप्त प्रमाण के साथ आयोग द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार टैरिफ/वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका में आगामी वर्ष के लिए नवीकरणीय स्रोतों से खरीद की अनुमानित मात्रा का संकेत देना होगा।
- 8.2 यदि वितरण लाइसेंसधारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद की न्यूनतम मात्रा को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह इन विनियमों के विनियम 10 के अनुसार दंड के लिए पात्र होगा।
बशर्ते कि यदि डिस्कॉम की ओर से जेकेपीसीएल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद की न्यूनतम मात्रा को पूरा करने में विफल रहता है, तो यह इन विनियमों के विनियम 10 के अनुसार दंड के लिए पात्र होगा।
- 9. कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता:**
- 9.1 प्रत्येक कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता को वार्षिक आधार पर आरपीओ की पूर्ति के लिए बिजली की कुल खपत और नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद के संबंध में 30 अप्रैल या उससे पहले गत वर्ष के लिए राज्य एजेंसी को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 9.2 कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता इन विनियमों के विनियम 3 में निर्दिष्ट अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा और/या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदेंगे या अपने स्वयं के उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेंगे जिसे राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्रमाणीकरण के बाद ही आरपीओ प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- 9.3 यदि कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता इन विनियमों के विनियम 3 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो लक्षित मात्रा की कमी पर इन विनियमों के विनियम 10 के अनुसार विनियामक शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 10. डिफॉल्ट के परिणाम:**
- 10.1 यदि बाध्य संस्था किसी वर्ष के दौरान इन विनियमों में दिए गए नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा नहीं करती है और प्रमाणपत्र नहीं खरीदती है, आयोग बाध्य इकाई को एक अलग फंड में जमा करने का निर्देश दे सकता है, ऐसी राशि जो आयोग आरपीओ की इकाइयों में कमी के आधार पर निर्धारित कर सकता है, जिसे नोडल एजेंसी द्वारा बनाया और बनाए रखा जाएगा।
- 10.2 जहां कोई भी बाध्य इकाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आवश्यक न्यूनतम मात्रा में खरीदने या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के दायित्व का पालन करने में विफल रहती है, तो वह दंड के लिए भी उत्तरदायी होगी जैसा कि आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 142 के तहत तय किया जा सकता है।
- 10.3 इस प्रकार बनाई गई निधि का उपयोग प्रमाणपत्रों की खरीद के लिए आयोग द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
- 10.4 इसके अलावा, आयोग नोडल एजेंसी के एक अधिकारी को फंड संचालित करने और पावर एक्सचेंज से फंड की राशि में से दायित्वों की पूर्ति में कमी की सीमा तक आवश्यक संख्या में प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार दे सकता है।
- 10.5 यदि बाध्य संस्थाएं ऐसे निर्देश के संचार के 15 दिनों के भीतर आयोग द्वारा निर्देशित राशि जमा करने में विफल रहती हैं तो वे अपनी लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करेंगी।
- 10.6 नवीकरणीय खरीद दायित्व के अनुपालन में वास्तविक कठिनाई के मामले में बाध्य इकाई अगले वर्ष के लिए अनुपालन आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है। हालाँकि, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए क्रेडिट को अगले वर्ष में समायोजित नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि जहां आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी है, इन विनियमों में उल्लिखित दंड का प्रावधान या अधिनियम की धारा 142 का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।

- 10.7 यदि बाध्य इकाई लाइसेंसधारी/मानित लाइसेंसधारी है, तो बाध्य इकाई पर आयोग द्वारा लागू जुर्माने को कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में शामिल नहीं किया जाएगा।
11. आदेश और अभ्यास निर्देश जारी करना:
- 11.1 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।
12. छूट देने की शक्ति:
- 12.1 आयोग, आदेश द्वारा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, और प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को स्वयं या किसी व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन पर छूट दे सकता है, जिसमें कोई कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल है चाहे वह कॉर्पोरेट हो या नहीं।
13. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:
- 13.1 इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, आयोग आदेश द्वारा, किसी भी उत्पादन कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता को उचित कार्यवाही करने के लिए उचित निर्देश जारी कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधान के साथ असंगत न हो, जो आयोग को कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
- 13.2 कोई भी उत्पादक कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता, ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता आयोग में आवेदन कर सकते हैं और इन विनियमों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त आदेश मांग सकते हैं।
14. संशोधन करने की शक्ति:
- 14.1 आयोग, किसी भी समय, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को परिवर्तित, पुनरीक्षित, संशोधित या निरस्त कर सकता है।
15. निरसन और बचत:
- 15.1 इन विनियमों में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए आयोग की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
- 15.2 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेंगे, जो किसी भी प्रावधान या इन विनियमों से भिन्न है, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और दर्ज किए जाने वाले कारणों से, लिखित रूप में, इसे आवश्यक या समीचीन समझता है।
- 15.3 इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (नवीकरणीय खरीद दायित्व, इसका अनुपालन और आरईसी ढांचा कार्यान्वयन) विनियम, 2022 निरस्त हो जाएंगे।

आयोग के आदेश द्वारा।

परिशिष्ट-1

राज्य एजेंसी द्वारा आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले त्रैमासिक प्रारूप:

बाध्य इकाई का नाम:					
क्र.सं.	विवरण	सूत्र	इकाई	त्रैमासिक मूल्य	वित्तीय वर्ष की तिमाही तक का संचयी मूल्य
1.	कुल बिजली खरीद		एम यू		
2.	आरपीओ लक्ष्य		%		
3.	नवीकरणीय ऊर्जा खरीद अपेक्षाएं	1*2	एम यू		

4.	एचपीओ लक्ष्य		%		
5.	जल विद्युत खरीद अपेक्षाएं	1*5	एम यू		
6.	डब्ल्यूपीओ लक्ष्य		%		
7.	पवन ऊर्जा बिजली खरीद की अपेक्षाएं	1*6	एम यू		
8.	अन्य आरपीओ लक्ष्य		%		
9.	अन्य आरई खरीद अपेक्षाएं	1*8	एम यू		
10.	ऊर्जा भंडारण क्रय दायित्व लक्ष्य		%		
11.	ऊर्जा भंडारण खरीद अपेक्षाएं	1*11	एम यू		
12.	जल विद्युत खरीद		एम यू		
13.	जल विद्युत खरीद में अधिशेष/घाटा (+/-)	12-5	एम यू		
14.	एचपीओ उपलब्धि	12/1	%		
15.	पवन ऊर्जा खरीद		एम यू		
16.	पवन ऊर्जा खरीद में अधिशेष/घाटा (+/-)	15-7	एम यू		
17.	डब्ल्यूपीओ उपलब्धि	15/1	%		
18.	अन्य आरई खरीद	क+ख+ग+घ+ङ+च	एम यू		
क)	सौर				
ख)	सह-उत्पादन		एम यू		
ग)	लघु हाइड्रो		एम यू		
घ)	बायोमास		एम यू		
ङ)	बायोगैस		एम यू		
च)	अन्य		एम यू		
19.	अन्य आरई खरीद में अधिशेष/घाटा (+/-)	18-9	एम यू		
20.	अन्य आरपीओ उपलब्धि	18/1	%		
21.	ऊर्जा भंडारण खरीद		एम यू		
22.	ऊर्जा भंडारण खरीद में अधिशेष / घाटा	21-11	एम यू		
23.	ऊर्जा भंडारण खरीद उपलब्धि	21/1	%		
24.	कुल नवीकरणीय ऊर्जा खरीद उपलब्धि	12+15+18+21	एम यू		
25.	कुल आरपीओ उपलब्धि	24/1	%		

वीके धर, (जेकेएस), सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./779/2023-24]

**JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE UT OF J&K AND THE UT OF LADAKH)**

DRAFT NOTIFICATION

Jammu, the 12th February, 2024

No. JERC-JKL/Reg/2024/05.—In exercise of the powers conferred under sections 86 (1) (e) and 181 of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu and Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following regulations for the development of power generation from renewable energy sources and for procurement of energy from renewable sources by distribution licensees.

1. Short title, commencement, and extent of application:

1.1 These regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Renewable Purchase Obligation&its Compliance) Regulations, 2024.

- 1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.
- 1.3 These regulations shall apply to the whole of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.
- 1.4 These Regulations shall apply to all Distribution Licensees, captive users using other than Renewable Energy Sources exceeding 1 MW, and to Open Access Consumers with a contracted demand exceeding 1 MW from sources other than Renewable sources of Energy.

2. Definition:

In these regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) **“Act”** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;
- (b) **“Area of Supply”** means the areas within which the Distribution Licensees/ deemed licensees are authorized to supply electricity;
- (c) **“Captive User”** shall have the same meaning as defined in rule 3(2) of Electricity Rules 2005 and its subsequent amendment thereof;
- (d) **“Central Agency”** means the agency, as the Central Commission may designate from time to time;
- (e) **“Central Commission”** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub section (1) of section 76 of the Act.;
- (f) **“Certificate”** means the Renewable Energy Certificate issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed by it under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 or its subsequent amendment.
- (g) **“Commission”** means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh constituted by the Central Government under sub-section (5) of section 83 of the Act.
- (h) **“Distributed Renewable Energy”** means the electricity generated from Renewable sources of energy, near the point of use instead of centralized generation power plants that are less than 10 MW in size and shall include solar installations under all configurations (net metering, gross metering, virtual net metering, group net metering, behind the meter installations and any other configuration) notified by the Central Government.
- (i) **“Eligible Entity”** means the Distribution Licensees/ deemed licensees, captive user (s), and open access consumer (s) in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, which is mandated to fulfill Renewable Purchase Obligation under these Regulations.
- (j) **“Floor Price and Forbearance Price”** means the minimum price and the ceiling price, respectively as determined by the Central Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, as amended from time to time, within which only the certificates can be dealt in the power exchange.
- (k) **“Green energy”** means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any other technology as may be notified by the Government of India from time to time and shall also include any mechanism that utilizes green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia.
- (l) **“HPO”** means Hydro Power Obligation.
- (m) **“Hydro Energy Certificate”** means certificates to be developed by CERC to facilitate compliance of HPO.
- (n) **“Interconnection facilities”** means all the facilities which shall include, without limitation, switching equipment, control, protection, and metering devices, etc. For the incoming bay (s) for the project line(s), to be installed and maintained by the licensee at the Inter-Connection Point at the cost of the generator to enable evacuation of electrical output from the Project.
- (o) **“Interconnection point”** means the physical touch point where the project line(s) and the allied equipment forming a part of the interconnection facilities are connected to the licensee’s power system.

- (p) **“Licensee”** means a person who is granted a license or is a deemed licensee under section 14 of the Electricity Act.
- (q) **“MNRE”** means the Ministry of New and Renewable Energy, GoI.
- (r) **“Obligated Entity”** means the distribution licensee, a consumer owning a captive power plant and an open access consumer in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh, which is mandated to fulfill renewable purchase obligation under these regulations mentioned in Regulation 3.
- (s) **“Open access Consumer”** means a Consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person other than the Distribution Licensees of his area of supply who has availed of or intends to avail of open access.
- (t) **“Preferential Tariff”** means the tariff fixed by the Commission for sale of energy from a generating station based on renewable energy sources.
- (u) **“Prosumer”** means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using the same point of supply.
- (v) **“Renewable Energy Purchase Obligation”** means quantum as mandated under clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Act and specified under these Regulations for the obligated entity to purchase electricity generated from renewable energy sources.
- (w) **“Renewable Energy Sources”** means Electricity generating sources recognized or approved by the Ministry of New and Renewable Energy and includes bundled power purchase (to the extent of Renewable Energy content in the bundled Power), power generated from co-generation-based power plants wherein the fuel used is non-fossil fuel duly recognized as renewable sources by MNRE and certified by the State accredited agency.
- (x) **“Nodal Agency”** means the agency as may be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration with Central Agency and to undertake such functions as maybe assigned by the Commission.
- (y) **“Year”** means a financial year.

3. Obligated Entities:

- 3.1. The percentage specified in Regulation 5 shall be applicable to all Distribution Licensees, captive users exceeding 1 MW project capacity using other than Renewable Energy Sources, and to Open Access Consumers with a contracted demand exceeding 1 MW from sources other than Renewable sources of Energy within the UT of J&K and the UT of Ladakh.
- 3.2. Any person who owns a grid-connected Captive Generating Plant based on conventional fossil fuel with an installed capacity of 1 MW and above, or such other capacity as may be stipulated by the Commission from time to time, and consumes electricity generated from such Plant for his own use shall be subject to RPO to the extent of a percentage of his consumption met through such fossil fuel-based captive source.
- 3.3. Any person having a Contract Demand of not less than 1MW and who consumes electricity procured from conventional fossil fuel-based generation through Open Access shall be subject to RPO to the extent of a percentage of his consumption met through such fossil fuel-based Open Access source.

Provided that the Commission may, by order, modify/revise the minimum capacity referred to in clauses (3.1) and (3.2) above from time to time.

Provided further that the condition under clause (3.1) above shall not be applicable in case of stand-by (or emergency back-up) captive generating facilities.

- 3.4. Jammu and Kashmir Power Corporation Ltd (JKPCL), is mandated to look after the power purchase and procurement process for the distribution utilities in the UT of J&K and the UT of Ladakh i.e. JPDCL, KPDCL, and LPDD. In view of this, till the power purchase agreements with generators made for DISCOMs are vested with JKPCL, JKPCL shall be treated as an obligated entity under these Regulations and therefore JKPCL shall have to ensure the compliance of all regulations related to DISCOMs for fulfillment of RPO.
- 3.5. The prosumer should not be an obligated entity under these Regulations.

4. Operating Period:

4.1. The Operating Period of the RPO framework specified under these Regulations shall commence from FY 2023-24 and shall be valid until 31st March 2030 (i.e. Up to FY 2029-30).

5. Quantum of Renewable Purchase Obligation (RPO):

5.1. Every obligated entity shall purchase electricity from renewable energy sources for the fulfillment of a defined minimum percentage of its total consumption of electricity under the Renewable Purchase Obligation.

5.2. RPO targets for erstwhile Jammu and Kashmir State were fixed by erstwhile JKSERC in its various orders including the order of October 2016 for the 2nd Control Period FY 2016-17 to FY 2020-21 under the J&K Electricity Act, 2010 (Repealed). The defined minimum percentages are given below in Table 1.

Table 1: RPO Target for FY 2010-11 to 2020-21

Financial Year	Minimum Quantum of purchase (in %) Minimum quantum of purchase(in%) from renewable energy sources (in kWh)		
	Total	Solar	Non-Solar
2010-11	1.00%	0.02%	0.98%
2011-12	3.00%	0.10%	2.90%
2012-13	5.00%	0.25%	4.75%
2013-14	5.00%	0.25%	4.75%
2014-15	6.00%	0.75%	5.25%
2015-16	7.50%	1.50%	6.00%
2016-17	7.50%	1.00%	6.50%
2017-18	8.50%	1.25%	7.25%
2018-19	9.50%	1.50%	8.00%
2019-20	10.50%	1.75%	8.75%
2020-21	11.50%	2.00%	9.50%

5.3. RPO targets were fixed by the Commission under the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Renewable Purchase Obligation, its Compliance and REC framework Implementation) Regulations, 2022. The defined minimum percentages for FY 2021-22 to FY 2023-24 are given below in Table 2.

Table 2: RPO Target for FY 2021-22 to 2023-24

Financial Year	Solar RPO	Non-Solar RPO			Total RPO
		HPO	Other Non-Solar RPO	Total Non-Solar RPO	
2021-22	10.50%	0.18%	10.50%	10.68%	21.18%
2022-23	10.50%	0.35%	10.50%	10.68%	21.18%
2023-24	10.50%	0.66%	10.50%	10.68%	21.18%

5.4. Henceforth, every Obligated Entity shall purchase electricity (in kWh) from renewable energy sources, at a defined minimum percentage of its total consumption as an Obligated Entity during a year, as shown in Table 3 below.

Table 3: RPO Target for FY 2024-25 to 2029-30

Financial Year	Wind RPO	Hydro Power Obligation (HPO)	Distributed Renewable Energy	Other RPO	Total RPO
----------------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------	-----------

Financial Year	Wind RPO	Hydro Power Obligation (HPO)	Distributed Renewable Energy	Other RPO	Total RPO
2024-25	0.67%	0.38%	0.75%	28.10%	29.91%
2025-26	1.45%	1.22%	1.05%	29.29%	33.01%
2026-27	1.97%	1.34%	1.35%	31.29%	35.95%
2027-28	2.45%	1.42%	1.65%	33.29%	38.81%
2028-29	2.95%	1.42%	1.95%	35.05%	41.36%
2029-30	3.48%	1.33%	2.25%	36.27%	43.33%

5.5. The Obligation will be on the total consumption of electricity by an obligated entity.

(a) Wind RPO shall be met only by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31st March 2024;

(b) The HPO component shall be met only by energy produced from Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after the 31st March 2024;

Provided that the HPO component may also be met out of the free power being provided to the State/DISCOM from the Hydro Power Projects commissioned after the 31st March, 2024;

Provided further that the HPO component may also be met from Hydro Power Projects located outside India as approved by the Central Government on a case-to-case basis.

(c) The distributed renewable energy component shall be met only from the energy generated from renewable energy projects that are less than 10 MW in size and shall include solar installations under all configurations (net metering, gross metering, virtual net metering, group net metering, behind the meter installations and any other configuration) notified by the Central Government;

Provided that the compliance against distributed renewable energy shall ordinarily be considered in terms of energy (Kilowatt hour units);

Provided further that in case the designated consumer is unable to provide generation data against distributed renewable energy installations, the reported capacity shall be transformed into distributed renewable energy generation in terms of energy by a multiplier of 3.5 units per kilowatt per day (kWh/kW/day).

(d) The other renewable energy component may be met by energy produced from any renewable energy power project other than specified in (a), (b), (c) and shall comprise energy from all WPPs and Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], including free power, commissioned before the 1st April 2024.

(e) Energy from all Hydro Power Projects (HPPs) including free power from HPPs commissioned before 31st March 2024 shall be considered under the category of 'Other RPO'.

5.6. Any shortfall in achievement of stipulated wind renewable energy consumption in a particular year may be met with hydro renewable energy which is in excess of that energy component for that year and vice versa.

5.7. The balance of excess energy consumption under wind renewable energy or hydro renewable energy component in that year, may be considered as a part of other renewable energy components.

5.8. Any excess energy consumption under Other renewable energy components in a particular year, may be utilized to meet the shortfall in achievement of stipulated Wind renewable energy or Hydro renewable energy consumption.

5.9. The open access consumers or consumers with Captive Power Plants shall fulfill their obligation as per the specified total renewable energy target irrespective of the non-fossil fuel source.

- 5.10. The specified renewable energy consumption targets shall be met either directly or through a Certificate in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, published in the Gazette of India,
- 5.11. Any shortfall in specified renewable energy consumption targets shall be treated as non-compliance and a penalty shall be imposed as such rate specified by the Commission as per clause 10 of these regulations.
- 5.12. Renewable Energy purchased through bundled power shall qualify for Renewable Purchase Obligation compliance to the extent of Renewable Energy content in the bundled power.
- 5.13. The distribution Licensee shall be eligible to utilize the renewable energy generated from prosumers supplying power to such Licensee under the Gross Metering, Net Billing, and Net Metering arrangement as the case may be towards meeting the RPO compliance as per provisions given under the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Grid interactive Renewable Energysystem and its related matters) Regulations, 2023, and as given in Clause 5.5 (c) above.
- 5.14. Distribution Licensee shall compulsorily procure 100% power generated from waste to Energy plants in the state irrespective of RPO obligation.
- 5.15. The Commission may review the minimum percentage of compliance specified in the above Regulations depending upon the prevailing situation in succeeding years.
- 5.16. There shall be a uniform renewable purchase obligation, on all obligated entities in the area of a distribution licensee. Any obligated entity may elect to generate, purchase, and consume renewable energy to meet their obligation by one or more of the following methods –

- (A) Own Generation from renewable energy sources: – There shall not be any capacity limit for the installation of power plants from renewable energy sources, by obligated entities for their own consumption and such plants may be set up at any location in India and power shall be transmitted by using open access:

Provided that the generating plant may be set up by the entity itself or by a developer with which the entity enters into a power purchase agreement.

- (B) By procuring Renewable Energy through Open Access from any Developer either directly or through a trading licensee or through power markets.

Explanation:

- (1) Developer means the generating company that generates electrical energy from renewable sources of energy.
- (2) Trading Licensee means a person who has been granted a license by the appropriate commission, for purchase of electricity for resale thereof.
- (C) By requisition from the distribution licensee. –
- (a) Any entity may elect to purchase green energy either up to a certain percentage of the consumption or its entire consumption and they may place a requisition for this with their distribution licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for wind, hydro, and other sources.
- (b) The consumer may purchase on a voluntary basis, more renewable energy than he is obligated to do and for ease of implementation, this may be in steps of 25% and going up to 100%.
- (c) Any requisition for green energy from a distribution licensee shall be for a minimum period of one year.
- (d) The quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year.
- (e) The green energy purchased from the distribution licensee or from Renewable Energy sources other than the distribution licensee in excess of the Renewable Purchase Obligation of the obligated entity shall be counted towards Renewable Purchase Obligation compliance of the distribution licensee.
- (f) The Accounting of renewable energy supplied at the distribution licensee level shall be on a monthly basis.
- (D) By consuming green energy from captive power plants.

- (E) Purchase of green hydrogen or green ammonia; —the obligated entity can also meet its Renewable Purchase Obligation by purchasing green hydrogen or green ammonia and the quantum of such green hydrogen or green ammonia would be computed by considering the equivalence to the green hydrogen or green ammonia produced from one MWh of the electricity from the renewable sources or its multiples and norms in this regard shall be notified by the CERC.
- (F) Any other sources, as may be, determined by the Central Government.
- (G) By purchasing renewable energy certificates in accordance with the applicable regulations.

5.17. The Commission shall approve the long-term PPAs meant for fulfillment of RPO on a case-to-case basis as per Petition(s) filed by JKPCL/DISCOM, as the case may be. The approval of PPA shall follow the relevant provisions given under the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Guidelines for Load Forecasts, Resources Plans, and Power Procurement Process) Regulations, 2023.

6. Certificates under the Regulations of the Central Commission:

- 6.1. Subject to the terms and conditions contained in these regulations the Certificates issued under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 shall be the valid instruments for the discharge of the mandatory obligations set out in these regulations for the obligated entities to purchase electricity from renewable energy sources.
- 6.2. Subject to such direction as the Commission may give from time to time, the obligated entity shall act consistent with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 notified by the Central Commission in regard to the procurement of the certificates for fulfillment of the Renewable Purchase Obligation under these regulations.
- 6.3. The Certificates purchased by the obligated entities from the power exchange in accordance with sub-clause (6.1) above shall be deposited by the obligated entities to the appropriate agency in accordance with the detailed procedure to be issued by the Central Commission/ Central Agency.
- 6.4. Grid Controller of India Ltd.(POSOCO) shall maintain data related to compliance of RPOs.

7. Nodal Agency:

- 7.1. The Commission shall designate an agency as a Nodal Agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake functions under these regulations.
- 7.2. The Nodal Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission and shall act in accordance with the procedures/rules laid by the Central Agency for the discharge of its functions under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022.
- 7.3. The State Agency shall submit quarterly status with respect to compliance of RPO by the obligated entities to the Commission within the 15th day of the ensuing month after completion of the 1st, 2nd, 3rd, 4th quarter of the financial year in the format as annexed as Annexure-I to these Regulations and may suggest appropriate action to the Commission if required for compliance of the renewable purchase obligation.

Provided that the State Agency shall submit data of RPO compliance of JKPCL who procures energy on behalf of DISCOMs.

- 7.4. The Commission may from time to time fix the remuneration and charges payable to the Nodal Agency for discharge of its functions under these regulations to be recovered from the accredited entities and obligated entities.
- 7.5. If the Commission is satisfied that the State Agency is not able to discharge its functions satisfactorily, it may by general or special order, and by recording reasons in writing, designate any other agency to function as Nodal Agency as it considers appropriate.

8. Distribution Licensee:

- 8.1. The distribution licensees of the UT of J&K and the UT of Ladakh in coordination with JKPCL shall indicate along with sufficient proof thereof, the estimated quantum of purchase from renewable sources for the ensuing year in Tariff /Annual Revenue Requirement (ARR) petition in accordance with the regulations notified by the Commission.

- 8.2.** If the Distribution Licensee fails to fulfill the minimum quantum of purchase from renewable energy sources, it shall be liable for penalty as per Regulation 10 of these Regulations.

Provided that if JKPCCL on behalf of DISCOMs fails to fulfill the minimum quantum of purchase from renewable energy sources, it shall be liable for penalty as per Regulation 10 of these Regulations.

9. Captive User(s) and Open Access Consumer(s):

- 9.1.** Every Captive User and Open Access Consumer shall submit necessary details regarding the total consumption of electricity and purchase of energy from renewable sources for the fulfillment of RPO on a yearly basis on or before 30th April to the State Agency for the previous year.
- 9.2.** Captive User(s) and Open Access Consumer(s) shall purchase renewable energy and/ or Renewable Energy Certificate (s) as stated in Regulation 3 of these Regulations or generate renewable energy for their own consumption, which shall be considered for RPO purposes only after certification by the State Nodal Agency.
- 9.3.** If the Captive User(s) and Open Access consumer (s) are unable to fulfill the criteria as specified in Regulation 3 of these Regulations, the shortfall of the targeted quantum would attract payment of regulatory charge as per Regulation 10 of these Regulations.

10. Consequences of default:

- 10.1.** If the obligated entity does not fulfill the renewable purchase obligation as provided in these regulations during any year and does not purchase the certificates, the Commission may direct the obligated entity to deposit into a separate fund, to be created and maintained by Nodal Agency, such amount as the Commission may determine on the basis of the shortfall in units of RPO.
- 10.2.** Where any obligated entity fails to comply with the obligation to purchase the required minimum quantum of purchase from renewable energy sources or procure the Renewable Energy Certificate (s), it shall also be liable for penalty as may be decided by the Commission under Section 142 of the Act.
- 10.3.** That the fund so created shall be utilized as may be directed by the Commission for the purchase of the certificates.
- 10.4.** Further the Commission may empower an officer of the Nodal Agency to operate the fund and procure from the Power Exchange the required number of certificates to the extent of the shortfall in the fulfillment of the obligations, out of the amount in the fund.
- 10.5.** That the obligated entities shall be in breach of their license condition if they fail to deposit the amount directed by the Commission within 15 days of the communication of such direction.
- 10.6.** That in case of genuine difficulty in complying with a Renewable Purchase Obligation the obligated entity can approach the Commission to carry forward of compliance requirement to the next year. However, credit for excess renewable energy purchases would not be adjusted in the next year.

Provided that where the Commission has consented to the carry forward of compliance requirement, the provision of penalty as mentioned in these Regulations or the provision of section 142 of the Act shall not be invoked.

- 10.7.** The penalty enforced by the Commission on the obligated entity shall not be pass-through in the Aggregate Revenue Requirement (ARR) in case the obligated entity is the licensee/ deemed licensee.

11. Issue of Orders and Practice Directions:

- 11.1.** Subject to the provisions of the Act, the Commission may issue Orders and Practice Directions with regard to the implementation of these Regulations.

12. Power to Relax:

- 12.1.** The Commission may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of being heard to the parties affected or likely to be affected, relax any of the provisions of these Regulations on its own or on an application made before it by a person which includes any company or body corporate or association or body of individuals whether corporate or not.

13. Power to remove difficulties:

- 13.1.** In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by order, issue appropriate directions to any generating company, Distribution Licensee, captive user, and open access consumer, to take suitable action, not being inconsistent with the provision of the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

13.2. Any generating company, Distribution Licensees, captive users, open access consumers may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulty that may arise in the implementation of these Regulations.

14. Power to Amend:

14.1. The Commission, may, at any time, vary, alter, modify, or repeal any provisions of these Regulations.

15. Repeal and Savings:

15.1. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Commission.

15.2. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions or these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

15.3. On and from the commencement of these regulations, the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh (Renewable Purchase Obligation, its Compliance and REC framework Implementation) Regulations, 2022, shall stand repealed.

By Order of the Commission.

ANNEXURE I

Quarterly Formats to be submitted by State Agency to the Commission:

Name of the Obligated Entity:					
Sl. No.	Particulars	Formula	Unit	Quarterly Value	Cumulative value up to the Quarter of the Financial year
1.	Total Power Purchase		MU		
2.	RPO Target		%		
3.	Renewable Energy Purchase requirement	1*2	MU		
4.	HPO Target		%		
5.	Hydro Power Purchase requirement	1*5	MU		
6.	WPO Target		%		
7.	Wind Power Purchase requirement	1*6	MU		
8.	Other RPO Target		%		
9.	Other RE Purchase requirement	1*8	MU		
10.	Energy Storage Purchase Obligation target		%		
11.	Energy Storage Purchase Requirement	1*11	MU		
12.	Hydro Power Purchase		MU		
13.	Surplus / Deficit in Hydro Power Purchase (+/-)	12-5	MU		
14.	HPO Achievement	12/1	%		
15.	Wind Power Purchase		MU		
16.	Surplus / Deficit in Wind Power Purchase (+/-)	15-7	MU		
17.	WPO Achievement	15/1	%		

Name of the Obligated Entity:					
Sl. No.	Particulars	Formula	Unit	Quarterly Value	Cumulative value up to the Quarter of the Financial year
18.	Other RE purchase	a+b+c+d+e+f	MU		
a.	Solar				
b.	Co-generation		MU		
c.	Small Hydro		MU		
d.	Biomass		MU		
e.	Biogas		MU		
f.	Other		MU		
19.	Surplus / Deficit in Other RE purchase (+/-)	18-9	MU		
20.	Other RPO Achievement	18/1	%		
21.	Energy Storage Purchase		MU		
22.	Surplus / Deficit in Energy storage purchase (+/-)	21-11	MU		
23.	Energy Storage Purchase achievement	21/1	%		
24.	Total Renewable Energy Purchase Achievement	12+15+18+21	MU		
25.	Total RPO Achievement	24/1	%		

V.K. DHAR, (JKAS), Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./779/2023-24]